न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–एल.आर. 240/2007
पंजीयन दिनांक 16.10.2007

(1). प्यारी बाई पत्नी भगवानलाल जाति कुमावत निवासी बिलोट तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़। (मृतक)–नाम तर्क किया।
(2). जगदीश लाल पिता भगवानलाल जाति कुमावत निवासी बिलोट तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

(1). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी कुआं आवंटन निरस्तीकरण निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.03.2007

उपस्थित वक्त बहस–(1). मनोहरलाल दक –अधिवक्ता अपीलांट
(2). पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 28.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार डूंगला ने अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र बाबत आवंटन निरस्तीकरण जरिये पत्रांक राजस्व/07/89 दिनांक 06.02.2007 को इस आशय का मय रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि नारायण पिता तोलीराम सुथार निवासी फलासिया ने दिनांक 01.02.2007 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम फलासिया की आराजी संख्या 314 मीन बिलानाम मे से 3 बिस्वा भूमि भगवानलाल पिता नन्दराम कुमावत निवासी बिलोट के नाम दिनांक 23.06.1998 को लीज पट्टा विलेख से आवंटन की गई थी। कुआं आवंटन भूमि के पास आवंटित भूमि की रिपोर्ट पटवारी हल्का फलोदड़ा के अनुसार मौजा फलासिया की आराजी संख्या 314/2 शुद्धि से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

882/314 रकबा 3 बिस्वा किस्म आ0 चाह वर्तमान मे राजस्व रेकॉर्ड मे भगवानलाल पिता नन्दराम कुमावत निवासी बिलोट के नाम दर्ज है। उपरोक्त चाह का आवंटन अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कमांक 49/1998 दिनांक 23.06.1998 से 10 वर्ष की लीज पर किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त चाह को नारायणलाल पिता तोलीराम सुथार निवासी फलासिया को वर्ष 1999 मे खातेदार भगवानलाल द्वारा कृषि भूमि मय कुआं विकय कर दिया है। जबकि रेकॉर्ड मे भगवानलाल के नाम पर लीज पर दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटी भगवानलाल पिता नन्दराम कुमावत निवासी बिलोट का आवंटन निरस्त किया जावे।

तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने भगवान लाल पिता नन्दराम जाति कुमावत द्वारा अपनी आराजी के साथ लीज पर आवंटित कुआं मौजा फलासिया की आराजी संख्या 314 मीन रकबा 3 बिस्वा शुद्धि पत्र से नवीन आराजी नम्बर 882/314 का अवैधानिक रूप से विकय कर दिया है जो कि आवंटन की शर्तो की पालना का उल्लंघन है। पट्टेदार आवंटी द्वारा पट्टा लीज पर दी गई भूमि का उपयोग से भिन्न किया जाकर आवंटन निर्बन्धनो एवं शर्तो की अवहेलना किया जाना मानते हुए अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने आवंटन/नियमन के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रद्धत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवंटी भगवानलाल पिता नन्दराम कुमावत निवासी बिलोट को सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए प्रकरण संख्या 49/98 दिनांक 23.06.1998 से लीज पर आंवटित मौजा फलासिया की आराजी संख्या 314/मी शुद्धि पत्र से नवीन आराजी संख्या 882/314 रकबा 03 बिस्वा का आंवटन/पट्टा एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार डूंगला रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि पुनः कब्जे सरकार लेकर बिलानाम दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 07.03.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण ने भगवानलाल के वारिसान होना बताते हुए इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की व अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलांट की ओर से इस न्यायालय मे अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट के सम्मन नोटिस जारी किये। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...धिकृत अधिकारी का रेकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष नारायणलाल पिता तोलीराम सुथार निवासी फलासिया के प्रार्थना पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली जाकर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कुआं आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट को सुना जाकर अपीलांट को सुने बगैर अपीलांट के पति व पिता भगवान लाल के नाम जारी कुआं आवंटन आदेश को निरस्त किया है जो अपीलांट व अपीलांट के पिता आवंटी भगवानलाल को सुने बगैर पारित किया गया है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश की अपीलांटगण को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत है। अपीलांट अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय मे पक्षकार नहीं होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत है व अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनको रेकॉर्ड पर लिया जाकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की , कि आवंटी भगवानलाल कुमावत ने उक्त कुएं से जो आराजीयात सिंचित होती है, उक्त आराजी मय चाह आराजी नम्बर 882/314 रकबा 3 बिस्वा केता नारायण लाल पिता तोलीराम सुथार को विक्रय कर दी है व इसी के साथ उक्त आवंटित कुए को भी विक्रय कर दिया है। जिससे आवंटी भगवानलाल ने आवंटन विबन्धनों व शर्तो का उल्लंघन किया है व वर्तमान मे आवंटी भगवानलाल की उक्त कुएं से कोई आराजी सिंचित नहीं होकर केता नारायण लाल पिता तोलीराम सुथार की आराजी उक्त कुए से सिंचित होती है ऐसी स्थिति मे आवंटी भगवानलाल का आंवटन निरस्त किये जाने योग्य था व इसी के साथ नारायण लाल पिता तोलीराम ने उक्त चाह से अपने खातेदारी की खरीदशुदा आराजीयात जो कि विकेता आवंटी भगवानलाल से ही कय की है, सिंचित हो रही है। नारायण लाल पिता तोलीराम ने उक्त कुएं को भगवानलाल पिता नन्दराम कुमावत से अपंजीकृत बहनामे से कय कर अपने पंजीकृत बहनामे से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

खरीदशुदा आराजी संख्या 314/1 जो उक्त कुएं से लगी हुई है की सिंचाई कर रहा है जिससे उक्त कुआं प्रार्थी नारायण लाल के नाम नियमन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था जिससे अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर भगवानलाल के नाम कुआं आवंटन आदेश दिनांक 23.06.1998 निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है व इसी के साथ आवेदक नारायण लाल पिता तोलीराम सुथार जिसकी खरीदशुदा आराजीयात जो भगवानलाल से ही क्रय की है सिंचित होना पाया गया है व उसी दिनांक को उसके नाम कुआं आवंटित किया गया है जिससे अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय व आदेश विधि सम्मत है। अपीलांट ने म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है व कुआं आवंटन का आदेश अपीलांट के नाम नहीं होकर भगवानलाल पिता नन्दराम कुमावत के नाम पारित हुआ है। अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने भगवानलाल के नाम पारित आवंटन आदेश को निरस्त किया है। जिससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट ने दौराने अपील आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन के साथ परिवाद की फोटो प्रति, गुमशुदा इतिला की फोटो प्रति व भगवानदास के नाम अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा वर्ष 2007 मे जारी विद्युत बिल व प्यार कोर पत्नी भगवानदास के नाम जारी पारिवारिक पेंशन की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है। आवेदन के समर्थन मे अपीलांट ने न तो शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है और न ही असल व प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी ने आवंटन आदेश भगवानलाल के नाम मिसल संख्या 49/98 दिनांक 23.06.1998 पारित किया है व जिस प्रयोजनार्थ आवंटन आदेश पारित किया गया है, आवंटी भगवान लाल ने उक्त प्रयोजन के संबंध मे आवंटन शर्तो व विबन्धनों के विपरीत जाकर जो कृषि आराजियात सिंचित हो रही है उक्त आराजियात को जरिये पंजीकृत बहनामा से नारायण लाल पिता तोलीराम व श्रीमती रामीबाई पत्नी नारायण लाल सुथार निवासी फलासिया को विक्रय कर दी है व उसके साथ उक्त कुए को भी गैर खातेदारी मे होने से उसी दिनांक को जरिये विक्रय अनुबंध पत्र विक्रय कर नारायणलाल पिता तोलीराम सुथार को कब्जा सुपुर्द कर दिया है। भगवानलाल के होते हुए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं रहता है फिर भी अपीलांट ने भगवानलाल के होते हुए भगवानलाल को पक्षकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कदमा कायम किये बगैर अपील प्रस्तुत की है अपीलांट उक्त विक्रय व कुआं आवंटन आदेश से प्रभावित नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं है साथ ही अपीलांट की ओर से इस न्यायालय मे जो अपील प्रस्तुत की गई हे वह म्याद बाहर है। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमे वर्णित तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है व गुणावगुण के आधार पर भी प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा परित आदेश यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी प्रकरण कुआं आवंटन निरस्तीकरण निर्णय व आदेश दिनांक 07.03.2007 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)